



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान की तैयारियों के लिये उच्च अधिकारियों की बैठक ली व निर्देश दिये।

‘राइजिंग राजस्थान समिति में प्रदेश की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर साख बढेगी’

मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि समिति की गतिविधियों से राजस्थान की लोक संस्कृति को जोड़ा जायेगा

जयपुर, 4 नवंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि “राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिति” से प्रदेश की वैश्विक स्तर पर साख बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि समिति के दौरान आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित, अन्य गतिविधियों में राजस्थान की लोक संस्कृति एवं लोक कला से संबंधित थीम को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए, जिससे इस ग्लोबल समिति में भाग लेने वाले देश-विदेश के निवेशकों को भी राजस्थान की समृद्ध एवं लुभावनी लोक संस्कृति की झलक देखने को मिले।

शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिति के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि 9

- मुख्यमंत्री ने सोमवार को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिति की तैयारियों की समीक्षा की।
- उन्होंने निर्देश दिये कि इस समिति में प्रवासी राजस्थानियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आमंत्रित करें।

से 11 दिसम्बर तक आयोजित होने वाली इस समिति की तैयारियों को अन्तिम रूप देते हुए, समिति का सफल आयोजन सुनिश्चित किया जाए तथा ज्यादा से ज्यादा प्रवासी राजस्थानियों को समिति से जोड़ा जाए।

बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस समिति के प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव में ज्यादा से ज्यादा प्रवासी राजस्थानियों को आमंत्रित किया जाए तथा कार्यक्रम की थीम को राजस्थान की संस्कृति से भी जोड़ा जाए और

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में निवेश को लेकर किए जा रहे प्रयासों से रूबरू करवाया जाए। साथ ही, उन्होंने प्रदेश में एक जिला-एक उत्पाद, राजीविका एवं कंटी पार्टीनर के पब्लिसिटी लगाने के संबंध में जानकारी ली एवं इस संबंध में उचित दिशा-निर्देश दिए।

शर्मा ने कहा कि समिति के दौरान पर्यटन, शिक्षा, वित्त सहित विभिन्न क्षेत्रों एवं विभिन्न देशों के निवेश से संबंधित सेक्टर एवं कंटी सैशन

आयोजित किए जाएंगे। म. मंत्री ने कहा, इन सैशन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की पैल वार्ता के लिए उचित समय निर्धारित किया जाए एवं सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने समिति के उद्घाटन सत्र, प्रदर्शनी एवं एम.एस.एम.ई. कॉन्क्लेव के आयोजन की भी समीक्षा की।

बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव उद्योग एवं वाणिज्य अजिताप शर्मा, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) आलोक गुप्ता, शासन सचिव पर्यटन रवि जैन, आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य रोहित गुप्ता, रीको प्रबंध निदेशक इंद्रजीत सिंह सहित, वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

यूपी, पंजाब व केरल के उपचुनाव अब 20 को

नयी दिल्ली, 04 नवंबर। चुनाव आयोग ने केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 14 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव 13 को जगह 20 नवंबर को कराने की सोमवार को घोषणा की। आयोग की विज्ञापन के अनुसार, इनमें केरल की चल्दकड, पंजाब की डेरा बाबानाक, चम्बेवाल (सुरक्षित), गिह्रबाहा, बरनाला और उत्तर प्रदेश की मीरापुर, कुण्डरकी, गाजियाबाद, खैर (सुरक्षित), करहल, सीसा मऊ, फूलपुर, कटिहारी, मझवां सीट शामिल हैं।

आयोग ने कहा है कि उसने विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के अनुरोध पर यह फैसला किया है।

आयोग की विज्ञापन के अनुसार,

- राजनीतिक दलों के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने तीन राज्यों के 14 उपचुनावों की तारीख बढाई।

इन दलों ने 13 नवंबर को सम्बंधित क्षेत्रों में सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में लोगों को व्यस्तता के आधार पर चुनाव तिथि बदलने का अनुरोध किया था। इन सीटों के उपचुनाव की मतगणना 20 नवंबर को कराई जायेगी और चुनाव प्रक्रिया 25 नवंबर तक संपन्न करा ली जायेगी।

आयोग ने कहा है कि इन सीटों पर चुनाव कार्यक्रम की अन्य तिथियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि आयोग ने 15 अक्टूबर को 15 राज्यों में 48 विधानसभा और दो लोक सभा सीटों के लिये उपचुनाव कराने की घोषणा की थी।

‘मेडिकल कॉलेज ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) किए गए और यह प्रक्रिया भी महज तीन घंटे में पूरी कर ली गई, जिसके चलते याचिकाकर्ता स्टूे राउंड में शामिल नहीं हो सके। इस कारण उन्हें सीट आवंटन से वंचित होना पड़ा।

ज्ञातव्य है कि गत 31 अक्टूबर को स्टूे राउंड के तहत मेडिकल कॉलेजों में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के लिए सीट आवंटित की गई, जबकि राउंड एक से तीन तक काउन्सिलिंग में सीट आवंटन के बाद दस्तावेज सत्यापित किए गए। याचिका में आरोप लगाया गया कि तीन घंटों के दस्तावेज सत्यापन में बिना कारण बताए कई छात्रों के दस्तावेज निरस्त कर दिए गए। कई छात्र दस्तावेज सत्यापन से पहले कॉलेज आवंटित होने का इंजागर ही करते रह गए, जिसके चलते कम रैंक वालों को सीट आवंटित हो गई।

‘यह चुनाव विचारधारा का है, भाजपा ने लोगों के साथ विश्वासघात किया’

सचिन पायलट के एक दिन में दौसा सीट पर 17 पब्लिक मीटिंग और कार्यालय उद्घाटन



पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने दौसा विधानसभा सीट के उपचुनाव में दिनभर सभायें कीं।

दौसा, 4 नवंबर। कांग्रेस महासचिव एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा, यह चुनाव विचारधारा का है, पार्टियों का है, भाजपा ने 10 साल से केन्द्र में लोगों के साथ विश्वासघात किया है, जिसे सभी देख रहे हैं। साल भर से राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन इस दौरान जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया गया है। इसलिए जनता जवाब मांगेगी, और जनता को जवाब देने का अधिकार मतदान के माध्यम से मिलता है, तो जनता जवाब दे देगी।

सोमवार को कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बेरवा के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के बाद प्रचारकों को सम्बंधित करते हुए, पायलट ने कहा कि भाजपा सभी जाति के मंत्रियों को गली-गली में घुमाएगी, लेकिन आप बहकवाते में मत आना। भाजपा चाहे कितने ही तंत्र लगा ले, और कितनी ही ताकत लगा ले, और चाहे उसके पूरे संजी और मंत्री दौसा में डेरा जमाए रहें, लेकिन पूरी सातों विधानसभाओं पर कांग्रेस पार्टी ही चुनाव जीतेगी।

पायलट ने गुर्जर समाज के स्नेह मिलन समारोह में काबीना मंत्री डॉ.

- उन्होंने कहा, दौसा के लोग तुलना करेंगे कि दौसा के लिये किसने क्या किया। इस सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था बहाल है।

किरोडीलाल मीणा द्वारा दिये गये बयानों को लेकर कहा, मैं किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये किसी समाज का चुनाव नहीं है। यह चुनाव दो दलों का है, दो विचारधाराओं का है, और इस चुनाव में काम के इतिहास के दम पर, कि दौसा के लिए किसने क्या किया है, लोग तुलना करेंगे कि किसके राज में ज्यादा काम हुआ। उन्होंने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में हर वर्ग परेशान है, कानून व्यवस्था बहाल है। भाजपा पहले गाय का मुद्दा लेकर आई, अब धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून की बात कर रही है। लेकिन राम मंदिर के मुद्दे का क्या हुआ, यह पूरा देश जानता है। ये केवल चुनावी मुद्दे हैं, असल मुद्दे से

ध्यान भटकाने की कोशिश है। पायलट ने कहा कि दौसा के गांव-गलियों से उनका बहुत पुराना नाता है। दिली रिश्ता है, और यह रिश्ता बहुत मजबूत है।

उन्होंने कहा, यह चुनाव सरकार के 10 महीने के कामकाज की अंगि परीक्षा है, जनता हिसाब मांगेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान उपचुनाव में जनता सरकार को जवाब देगी। राजस्थान में इस बार कांग्रेस ने किसी दल के साथ गठबंधन नहीं किया है, इस मुद्दे पर पायलट ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत ऊंचा है और चुनाव परिणाम हमारे हक में होंगे।

हरियाणा के बाद, झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों पर सचिन पायलट ने कहा, महाराष्ट्र में हम गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं, झारखंड में भी परिणाम आशा-अनुरूप होंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने आपस में लोगों को लड़ाया है, उस इतिहास का आकलन कर वोट करना है। जातिगत आधार पर समर्थन मांगने वालों को, जाति-धर्म की राजनीति करने वालों को, भाजपा को, सबक सिखाना है। पूरे देश और प्रदेश की निगाहें दौसा के चुनाव पर हैं।

सुप्रीम कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) इन पुलों की मॉनिटरिंग केन्द्रीय सड़क-परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मानकों के अनुसार की जाये। इस मांग का उद्देश्य पब्लिक में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना तथा आलोचना का केन्द्र बने बिहार के इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षा तथा सुदृढ़ीय आयु सुनिश्चित करना है।

महाराष्ट्र चुनावों के लिए रोचक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) प्राप्त खबरों के अनुसार, महायुति के लगभग 36 और एन.वी.ए. के 26 प्रत्यासी बागी हो गए हैं। प्रत्याशियों ने एक दूसरे के खिलाफ नामांकन भरा है तथा कई सीटों पर दस्ताना मुकाबले की स्थिति पैदा कर दी है। एम.बी.ए. में कांग्रेस,

उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यू.बी.टी.) तथा शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एन.पी.) शामिल हैं तथा महायुति में भाजपा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली एन.सी.पी. शामिल हैं।

कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप-मर्डर केस में 87 दिन बाद आरोप तय

मुख्य आरोपी संजय राॅय ने कहा कि ममता सरकार मुझे फंसा रही है

कोलकाता, 04 नवंबर। पश्चिम बंगाल की सियालदह कोर्ट ने कोलकाता के आर.जी. कर कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर रेप-मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय राॅय के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। 11 नवंबर से मुकदमे की रोजाना सुनवाई होगी। सोमवार को पेशी के बाद पुलिस जब संजय को बाहर लेकर निकली तो पहली बार वह कैमरे पर कहता नजर आया कि ममता सरकार उसे फंसा रही है। उसे मुंह न खोलने की धमकी दी गई है। आरोपी संजय राॅय ने कैमरे के सामने कहा कि वह निर्दोष है और उसने डॉक्टर के साथ ना रेप किया है और ना ही उसकी हत्या की है। वह कैमरे के सामने गिद्धगिद्धा दिखा और कहा कि वह निर्दोष है, उसे जान बूझकर इस केस में फंसाया गया है। बता दें कि

- 11 नवम्बर से मुकदमे की रोज सुनवाई होगी। मुख्य आरोपी ने कैमरे के सामने कहा कि, उसने डॉक्टर के साथ ना रेप किया और ना हत्या की।

महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार-हत्या के 87 दिन बाद चार्जशीट की प्रक्रिया शुरू हुई है। संजय राॅय ने कहा कि मैंने बलात्कार और हत्या नहीं की है, मुझे अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया गसर और सीधा आरोप मुझपर लगा दिया गया। मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। आरोप लगाने के बाद भी मैं इतने समय

से चुप हूँ, मुझे डराया जा रहा है, ये कह कर कि आप कुछ नहीं कहेंगे। मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया गया है। महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के आरोपी संजय राॅय को सोमवार को सियालदह के जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया गया। संजय राॅय सी.बी.आई. की चार्जशीट में इस रेप और मर्डर केस का एकमात्र आरोपी है। जज के चैंबर में उसके खिलाफ चार्ज बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। आर जी कर मेडिकल कॉलेज में घटना के 87 दिन बाद चार्ज गठन प्रक्रिया शुरू हुई है। जूनियर डॉक्टर त्रिनेश मंडल ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि, सीबीआई और कोर्ट देखेंगे कि संजय राॅय दोषी है या नहीं, लेकिन अगर इसके पीछे कोई बड़ा है तो उन्हें जांच के दायरे में लाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने बब्बर खालसा सदस्य को अंतरिम राहत नहीं दी

नयी दिल्ली, 04 नवंबर। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को, पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह और 16 अन्य को, करीब 29 साल पहले हुई हत्या के मामले में मौत की सजा पाए प्रतिबंधित बब्बर खालसा सदस्य, 57 वर्षीय राजोआना को अंतरिम राहत देने से इन्कार कर दिया।

न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने करीब तीन दशकों से जेल में बंद राजोआना को राहत देने से मना कर दिया तथा इस मामले में पंजाब सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए और दो सप्ताह का समय दिया। राजोआना ने अपनी दया याचिका पर फैसला होने में अत्यधिक देरी के कारण अपनी सजा कम करने की शीर्ष अदालत से गुहार लगाई की थी। शीर्ष अदालत के समक्ष राजोआना की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह चौकाने वाला मामला है, क्योंकि याचिकाकर्ता 29 साल से हिरासत में है।

तमिलनाडु और कर्नाटक के बाद...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) की याचिका पर अंग्रेजी में ही जवाब दिया जाए। हाई कोर्ट ने कहा था कि जिस भाषा में राज्य सरकार ने केन्द्र को आवेदन भेजा है, केन्द्र उसी भाषा में जवाब दे। मद्रास हाई कोर्ट ने यह निर्देश मद्रु के सांसद एस. व्यंकटेश की याचिका

पर दिए थे। व्यंकटेश ने याचिका में लिखा था कि, तमिलनाडु ने गुपु वी और गुपु सी के 780 रिक्त पदों को भरने के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के लिए पांडिचेरी में सेंटर नहीं बनाया था। इसलिए मैंने केन्द्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था पांडिचेरी में एक सेंटर तो बनाया जाए। केन्द्रीय गृह मंत्री ने 9

नवम्बर को हिंदी भाषा में जवाब भेजा, मैं समझ नहीं पाया कि वे क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा कि हिंदी में जवाब देना कानून का उल्लंघन है। यह ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, 1963 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

इसके आगे कहा गया है कि तमिलनाडु सरकार, वहां के सांसद जनता को पत्र हिंदी में नहीं भेजा जाना चाहिए। केन्द्र सरकार को सिर्फ अंग्रेजी में ही पत्र भेजना चाहिए। यदि नियम नहीं मानने वाले अफसरों पर कार्यवाही की जाए।

पोस्टमार्टम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) की उम्र 14 वर्ष थी, उसको बाधिन लाडली टी-8 ने जन्म दिया था। इस बारे में सी. सी. एफ. अरूप के. आर. ने बताया कि मृत टाइगर टी-86 के शरीर पर दो तरह की चोटें सामने आई हैं। चेहरे पर धातुय हथियार से वार किए गए, जिससे सिर की हड्डियां फैंकवर हो गईं और पीठ की हड्डियां भी टूट गईं।

एकल पट्टा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से पेश रखने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने बताया कि गत अप्रैल माह में पेश शपथ पत्र के दौरान उनसे सलाह नहीं ली गई थी। ए.सी.बी. ने तीन क्लोजर रिपोर्ट अदालत में पेश की थी, वे धारीवाल सहित अन्य अधिकारियों से प्रभाविता थी। इन रिपोर्टों में सभी तथ्यों को शामिल नहीं किया गया था। ऐसे में ए.सी.बी. कोर्ट ने दो क्लोजर रिपोर्टों को खारिज कर दिया था और तीसरी पर कोई निर्णय नहीं हुआ था। इस दौरान मामला हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट ने गत जनवरी माह में पूर्व आई.ए.एस. जी.एस. संजु, निष्काम दिवाकर और ऑकारमल सैनी के खिलाफ मुकदमा वापस लेने को सही माना और धारीवाल के खिलाफ प्रकरण खारिज कर दिया। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर प्रकरण को फिर से ट्रायल कोर्ट भेजना चाहिए। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ, आर.टी.आई. कार्यकर्ता अशोक पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में ए.एच.पी. दायर की थी, जिसमें कहा था कि शिकायतकर्ता से राजीनामे के आधार पर केस को रद्द नहीं किया जा सकता।

कैनडा में हिंदू मंदिर पर हमले बढाश्त नहीं करेंगे-मोदी

नई दिल्ली, 04 नवंबर। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कैनडा के हिंदू मंदिरों पर हुए हमले बढाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने हमलों की निंदा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर लिखा है, मैं कैनडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। हमारे राजनयिकों को डराने-धमकाने की कारपरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह हैं।

हिंसा के ऐसे कृत्य कभी भी भारत के संकल्प को कमजोर नहीं करेंगे। हम कैनडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने के लिए विचारों को बनाए रखने की उम्मीद करते हैं।

बता दें कि मोदी की ओर से यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है, जब लगातार दूसरे दिन खालिस्तान समर्थकों ने कैनडा में हिंदू मंदिर पर हमला किया और वहां मंदिर में मौजूद हिंदुओं को घायल कर दिया।

अनुच्छेद 370 निरस्त करने के खिलाफ प्रस्ताव पर विधानसभा में हंगामा

जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले दिन पी.डी.पी. विधायक ने प्रस्ताव रखा, भाजपा ने कड़ा विरोध जताया

- जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सदस्य निर्णय नहीं ले सकता, इसका कोई महत्व नहीं।
- मुख्यमंत्री के जवाब का पी.डी.पी. के तीन सदस्यों ने विरोध किया।

श्रीनगर, 04 नवंबर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सोमवार को उस समय हंगामा हो गया, जब पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पी.डी.पी.) के विधायक वहीद परा ने केन्द्र द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के विरोध में प्रस्ताव पेश किया। गौरतलब है कि, अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था, जिससे जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया था और तत्कालीन राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर

दिया गया था। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में आज से शुरू हुए प्रथम सत्र के पहले दिन सात बार के विधायक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अब्दुल रहीम राथर को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। पी.डी.पी. विधायक वहीद परा ने कहा कि उन्होंने 2019 में संसद द्वारा विशेष दर्जा और अनुच्छेद 370

को निरस्त करने के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया किया। उन्होंने प्रस्ताव भी पढ़ा। विधायक परा के इस कदम से सदन में सभी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायकों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आयी। भाजपा विधायकों ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह नियमों का उल्लंघन है।

विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा नेताओं से कहा कि, वे मुद्दे को उन पर छोड़ दें क्योंकि उन्होंने अभी तक विधायक द्वारा पेश गए प्रस्ताव को नहीं देखा है। लेकिन, सदस्यों ने सदन में हंगामा किया, जबकि अध्यक्ष ने सदन में स्थिति को सामान्य बनाने का भरसक प्रयास किया। जब हंगामा हो रहा था, तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला

ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि प्रस्ताव का उद्देश्य केवल सुविधाएं बढाना नहीं था। अब्दुल्ला ने कहा, मुझे पता था कि कुछ सदस्य निर्णय नहीं ले सकना, इसका कोई महत्व नहीं। उन्होंने कहा कि इस सत्र में क्या होगा, यह सत्ता पक्ष तय करेगा। उन्होंने कहा कि कुछ सदस्य केवल कैमरों के सामने सुविधाओं में रहना चाहते हैं, अगर वे गंभीर होते, तो वे हमसे चर्चा करते और तय करते कि सदन की अवाज क्या होनी चाहिए।

‘हमें मजबूरन जे.पी.सी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) है, उन्होंने कहा कि इसे किसी “वेन्टिलेटिंग चैम्बर” मात्र के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, जिसे प्रस्तावित विधेयक को, आवश्यक प्रक्रिया की अनदेखी करते हुए, सरकार की इच्छा के अनुरूप पास करने के लिये बनाया गया है।

विपक्षी सदस्यों द्वारा प्रायः प्रस्तुत विरोधों के कारण कमेटी की कार्यवाही बाधित होती है तथा भाजपा सदस्यों का आरोप है कि विपक्षी सदस्य जानबूझ कर कमेटी के काम को बाधित करने की कोशिश करते हैं।

पाल ने विपक्षी सांसदों के इस आरोप को खारिज किया है कि वे विपक्षी सदस्यों को अपने विचार नहीं प्रकट करने दे रहे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि उन्होंने सुनिश्चित किया हुआ है कि हर व्यक्ति की बात सुनी जाये।

पाल, जो पहले कांग्रेस सांसद थे, विवाद पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। उनके नजदीकी सूत्रों का कहना है कि वे प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए यह सब कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री बनाये जाने की उनकी इच्छा की उपेक्षा नहीं की है।

‘हमें मजबूरन जे.पी.सी...

वे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे तथा 2014 तक उत्तर प्रदेश की डोमरिया गंज सीट से कांग्रेस सांसद थे। 2014 में वे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गये थे तथा उसके बाद लगातार तीन बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। वे एक दिन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं तथा “वन डे वन्दर” के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनकी वरिष्ठता के बावजूद, प्रधानमंत्री मोदी उनकी अनदेखी करते रहे हैं तथा इस समय उनके पास भाजपा हाईकमान को प्रसन्न करने का सुअवसर है। सूत्रों का कहना है कि वे इस भूमिका को प्रशंसनीय रूप में निभा रहे हैं।

‘पटाखों पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) पर रोक लगाने का आदेश दिया था। यह आदेश एक जनवरी 2025 तक लागू रहेगा। सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचने व इस्तेमाल करने की अनुमति रहेगी। दीवाली के दिन शाम 8 बजे से रात सब बजे तक पटाखे चलाने की छूट दी गई थी।